

II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

पत्रांक / दिनांक, गोपेश्वर, 04/09/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, भूमि वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/10925/2015 सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला-गैन मोटर मार्ग
नव निर्माण हेतु 4.00 है० वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:- ई०सी०एस० दिनांक 07.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा
लगायी गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर की पत्र सं० 1320/1सी(वन)
दि. 28.08.2018 एवं पत्र सं० 1403/1सी(वन) दिनांक 07.09.2018 से निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	In reply to point no- 1 though it is mentioned that the area proposed for CA was found suitable. the CA area still shows overlapping with some other porposal. Moreover the required site suitability certificate is not submitted so far.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के०एम०एल० बदलकर ऑनलाईन पार्ट I के कॉलम L(iv)(C) में अपलोड कर दिया गया है तथा Site Suitability certificate संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2.	Original hard copy is not yet submitted with all revised documents.	सभी संशोधित प्रपत्र अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग गौचर की पत्र सं० 1101/12-1 दिनांक 28.08.2018 से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी, जिसे इस कार्यालय की पत्र सं० 837/12-1 दिनांक 18.08.2017 से वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को प्रेषित की गयी है। पुनः प्रपत्रों की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 901 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर चमोली को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के
क्रम सूचनार्थ प्रेषित।

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला - मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला - गैन मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला - मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला - गैन मोटर मार्ग का नव निर्माण कि०मी० 7.200 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल वन भूमि उपयुक्त है।


 सब-इंस्पेक्टर
 नन्दप्रयाग रेंज
 बड़ी ब. व. प्रचार


 हु०/२ = नन्दप्रयाग
 प्रमाणित वनाधिकारी
 कटोना रेंज
 सोनला (चमोली)


 सहायक अभियंता
 Assistant Engineer
 Division P.W.D.
 Chamoli (Chamoli)

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम गजड में हाल खखरा नं० 1268 में कुल रकबा - 13.901 हे० भूमि मध्ये सहित प्रमाणित किया गया है।

- (1) सोनला नहरा मोटर मार्ग से मंचुला नैन मोटर मार्ग हेतु 1268 मध्ये 8.000 हे०
- (2) विशाल खाल से चमरगिरि डेवी रोड बामनाथ मोटर मार्ग हेतु 1268 मध्ये 3.500 हे०
- (3) रानी म्योडी सिमरगेली मोटर मार्ग हेतु 1268 मध्ये 1.901 हे० वृत्ति कुल रकबा 13.401 हे०, जन्मविभाग हेतु सहित प्रमाणित किया गया है।

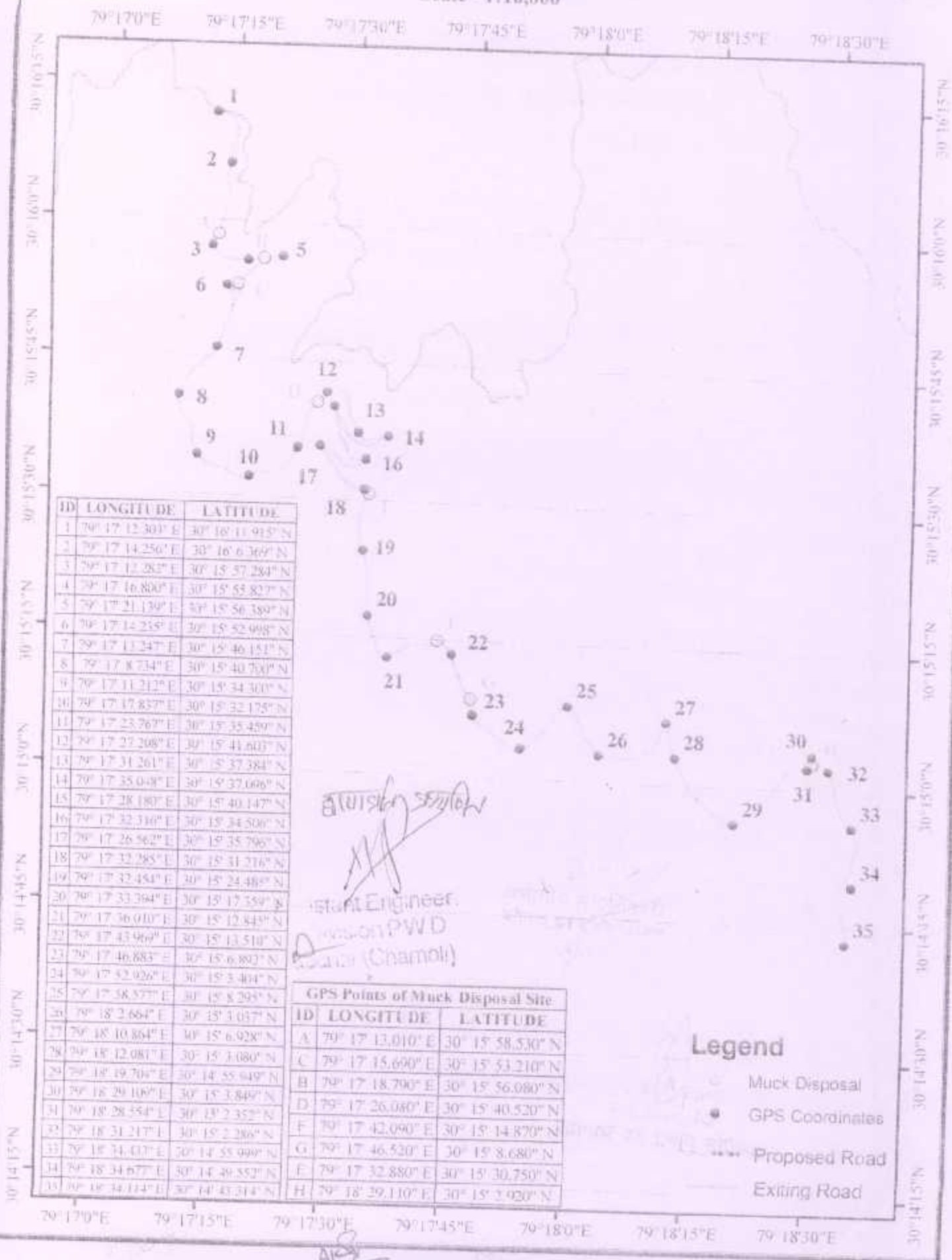
13. 10. 1970
तहसीलदार
कानपुर

13. 10. 1970
सह. उप. नि. 0
नगरपालिका
512/113

हस्ताक्षर प्रमाणित
13. 10. 1970
Assistant Engineer
Division PWD
Bachar (Chamoli)

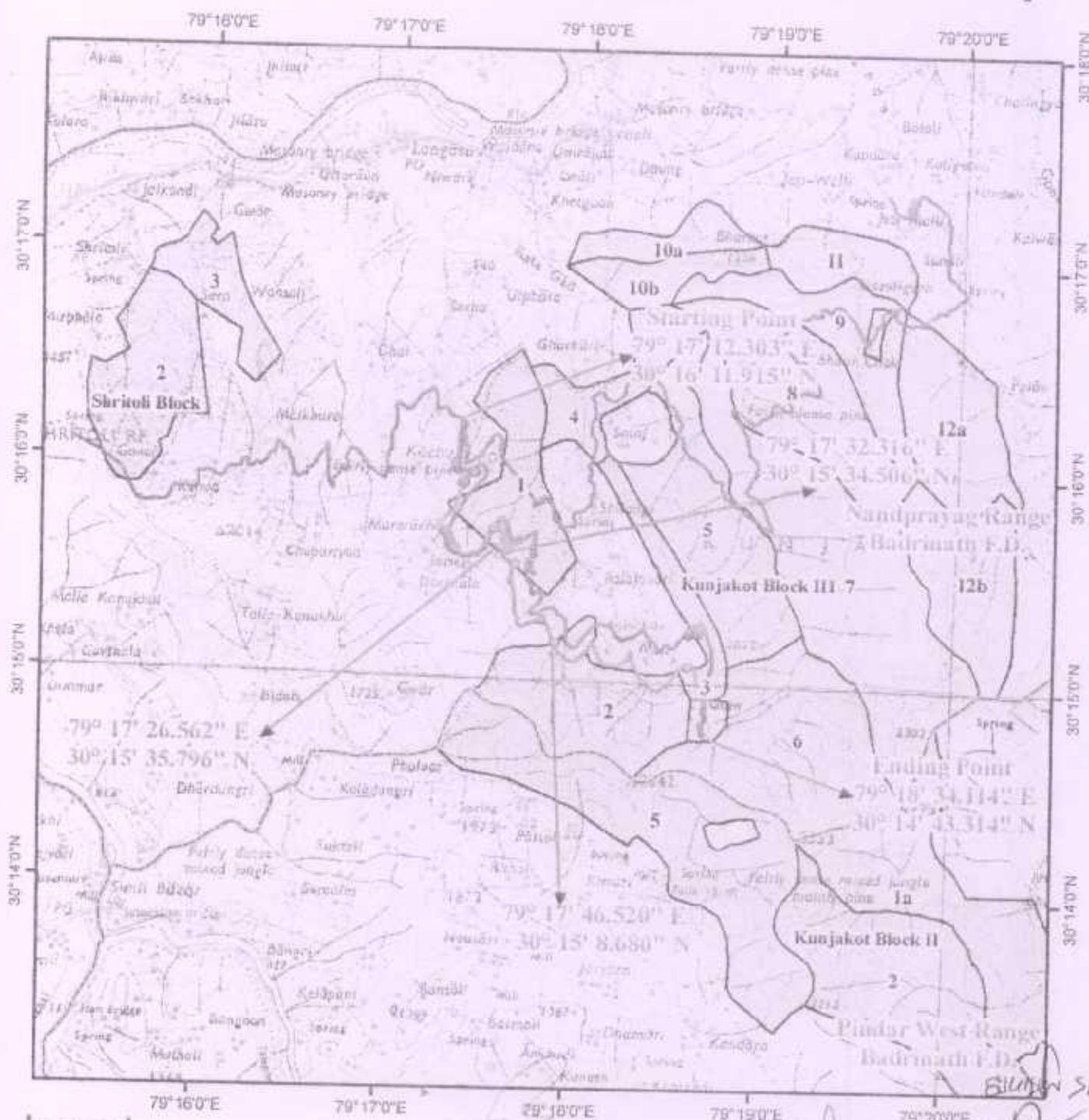
जियो रेफरेंस मैप :- जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला - गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.25 0.5 1 Km
Scale - 1:16,000



डिजिटल मैप - जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला - गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

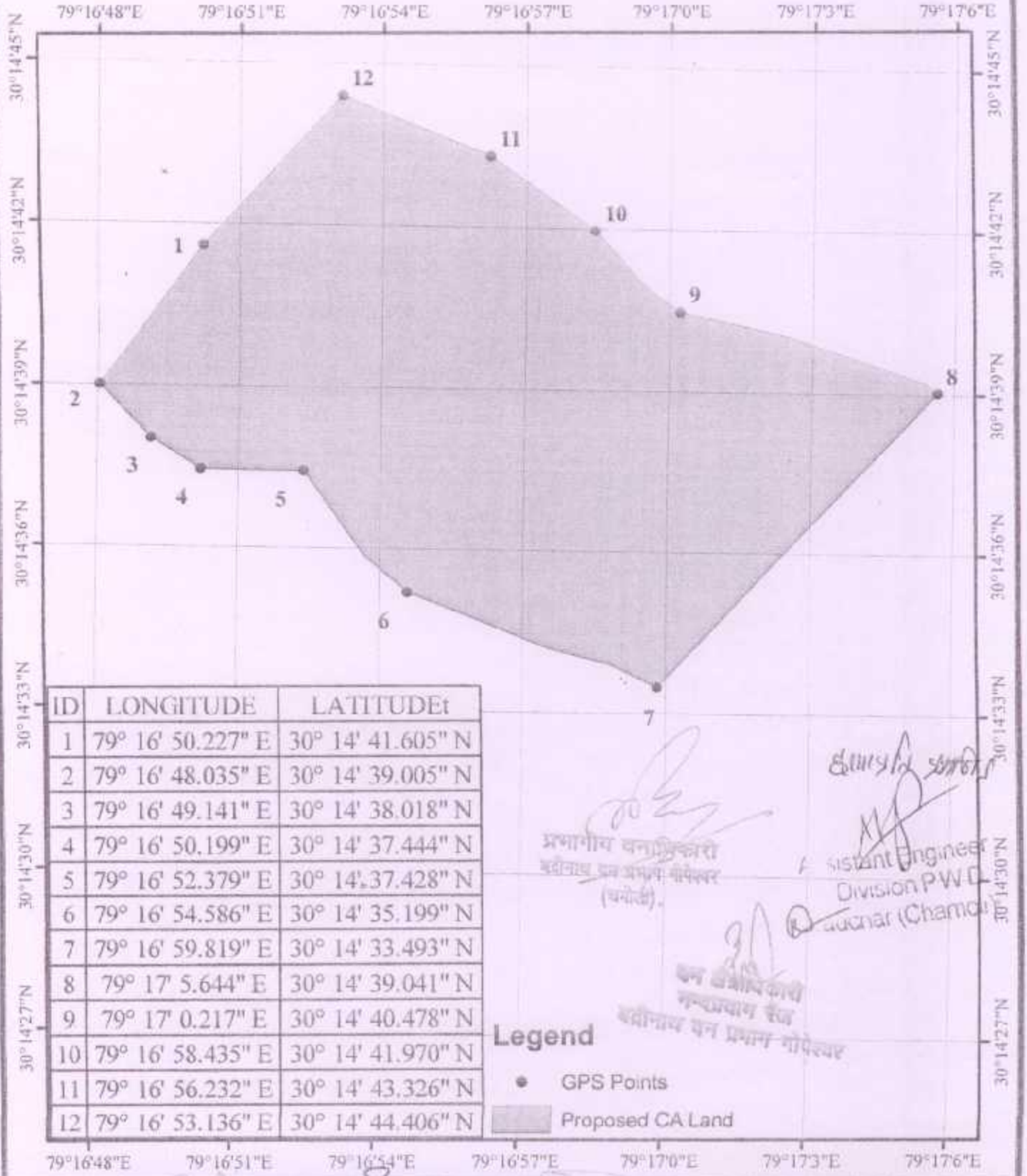
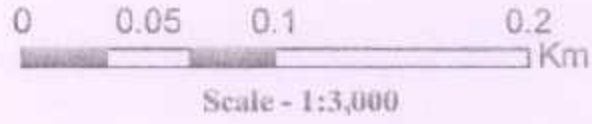
- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing_Road
- ▨ Reserve Forest
- ▨ Reserve Forest Boundary
- ▨ Forest Range Boundary
- Alternate Road

प्रभागीय नगरपालिका
चमोली जन प्रमाण भोपल
(चमोली)

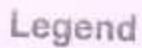
यन क्षेत्रपालिका
चमोली जन प्रमाण भोपल
Assistant Engineer
Div. Division PWD
Chamoli (Chamoli)

अतिरिक्त अधिकारी
प्रत्यक्ष जन प्रमाण भोपल
जोवर

जियो रेफरेंस मैप :- जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला - गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल ग्वाड़ सिविल सोयम



0 0.5 1 1.5 2 Km



Assistant Engineer

Road Division PWD

Reserve Forest

Reserve Forest Boundary

Forest Range Boundary

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated : 10-4-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4,000 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Gauchar, Uttarakhand for construction of new motor road "Kanchula-Gain" in Chamoli district falls within jurisdiction of Kanchula senz kata village (s) in Karanprayag tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4,000 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) "Kanchula senz kata Gain" sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

Signature

हनुमान प्रसाद
Assistant Engineer
Division PWD
Gauchar (Chamoli)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैयुरा गोरगाँव से कांचुला-
गैंग मोरगाँव के नव निर्माण हेतु 1.600 हे० वन पंचायत, 2.100 हे० आरक्षित
वन भूमि तथा मनु डिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० वन भूमि का लो० नि० वि०
कार्यालय उप जिलाधिकारी, ~~कठ प्रयाग~~ को हस्तान्तरण।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~कठ प्रयाग~~

उपखण्ड ~~कठ प्रयाग~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~सोनला-मैयुरा गोरगाँव से कांचुला-गैंग मोरगाँव~~
के निर्माण हेतु (2.100 हे० आरक्षित वन भूमि, ~~X~~ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.600 हे० ~~तथा मनु डिस्पोजल~~
वन-पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.000 हे० वन भूमि) का ~~हेतु 0.220 हे०~~
लो० नि० वि० गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~कठ प्रयाग~~) की दिनांक 25-3-15 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~विवेक प्रकाश~~ उपजिलाधिकारी _____ अध्यक्ष
- 2- श्री ~~सुरेश कुमार~~ उप प्रमाणीय वनाधिकारी _____ सदस्य
- 3- श्री ~~मोहन लाल~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी _____ सदस्य/सचिव
- 4- श्री ~~मोहन लाल~~ बी०डी०सी० क्षेत्र _____ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैयुरा गोरगाँव से कांचुला-गैंग मोरगाँव
के निर्माण हेतु 1.600 हे० वन पंचायत तथा ~~परियोजना~~ हेतु _____ हे० वन
भूमि 2.100 हे० आरक्षित एवं मनु डिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० वन
भूमि का लो० नि० वि० गौचर को हस्तान्तरण।

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

साहिबल सिंह नेजी, सहायक क्षेत्रीय प्रमाणिक (चमोली)
मानक 620118, तहसील गैंग मोरगाँव, पंचायत
Assistant Engineer,
Ly Division PWD
Gsuchar (Chamoli)

वर्धन वन प्रभाग गोपेखर

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चमोली परिसर के अन्तर्गत सोनला-मेखुरा मोटर गाड़ी से कम्प्यूटराईन प्रयोजना के निर्माण हेतु 4.0000 हे० वन भूमि नि.वि. सोनला प्रयोजित एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-

रूपि घुमा
चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-

रूपि घुमा
चमोली

हाथसिद्ध प्रमाणिका

Assistant Engineer.
Division PWD
Bachhar (Chamoli)

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सीमला-मैसुरा मोटर मार्ग से कांभुला जैन मी. मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.680 हे. वन पंचायत, 2.100 हे. आदिवासी वन भूमि तथा मूल प्रयोजन हेतु 0.220 हे. कुल 4.000 हे. वन भूमि का लो. नि. वि. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को दर्शाना मसौदा।

ग्राम पंचायत का नाम डोडला/गौनोली
तहसील कृष्णमार्ग जिला बनारस

उत्तराखण्ड में जनपद चौशीली के अन्तर्गत सीमला-मैसुरा मो. मार्ग से कांभुला जैन मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.100 हे. आरक्षित वन भूमि, X हे. सिविल सोयम भूमि 1.680 हे. तथा मूल प्रयोजन वन पंचायत भूमि 0.220 हे. अर्थात् कुल 4.000 हे. वन भूमि का लो. नि. वि. हेतु 0.220 हे. जी. च. वि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डोडला/गौनोली द्वारा दिनांक 10.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत डोडला/गौनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो. नि. वि. जी. च. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। हाथसम प्रमाणित

Assistant Engineer.
Ly Division PWD
@ Jauchar (Chameli)

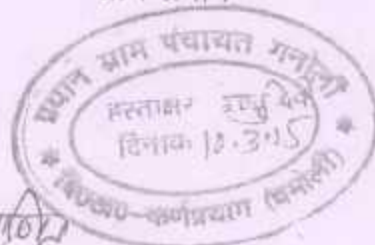
प्रपत्र-23.1

दिनांक 10.3.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चमोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गोरसिंह पुंडरी	गोरसिंह
2	" रघुनाथसिंह पुंडरी	रघुनाथसिंह
3	" जगदीशसिंह "	जगदीशसिंह
4	" पदमसिंह "	पदमसिंह
5	" अमरसिंह " (उपप्रधान) गमोली	अमरसिंह
6	" जगदीशसिंह "	जगदीशसिंह
7	श्रीमती सुद्धा देवी " (उपप्रधान) गमोली	सुद्धा देवी
8	" रामसिंह "	रामसिंह
9	" गजसिंह "	गजसिंह
10	" अमरसिंह " (उपप्रधान) गमोली	अमरसिंह
11	" सुरेशसिंह "	सुरेशसिंह
12	श्रीमती सुद्धा देवी " (उपप्रधान) गमोली	सुद्धा देवी
13	" देवसिंह देवी "	देवसिंह देवी
14	" राम देवी " (उपप्रधान) गमोली	राम देवी
15	" श्री लक्ष्मणसिंह देवी "	लक्ष्मण देवी
16	" गजसिंह "	गजसिंह
17	" जयसिंह पुंडरी	जयसिंह
18	" रामसिंह "	रामसिंह
19	श्रीमती सुद्धा देवी "	सुद्धा देवी
20	" देवसिंह देवी "	देवसिंह देवी
21	" फागु देवी " (उपप्रधान) गमोली	फागु देवी
22	" गजसिंह "	गजसिंह
23	" गजसिंह "	गजसिंह
24	" रामसिंह पुंडरी	रामसिंह
25	" नरसिंह पुंडरी	नरसिंह

ग्राम प्रधान



हस्ताक्षर अमरसिंह

Assistant Engineer
Division PWD

Chamoli (Chamoli)

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कौचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तांतरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम मैथेन
तहसील-कर्णप्रयाग जिला-मनोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कौचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्रामस्थों द्वारा देनायक मैथेन को सम्मन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित किया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कौचुला के ग्रामवासियों को 0.64 हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जा रहा एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव अपुष्पा
कार्यालय मैथेन

ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट - * यदि किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

हस्ताक्षर
Assistant Engineer.
Division PWD
Chail (Chail)

दिनांक 08.05.20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-मधुबनी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2 बुद्धा का	बुद्धा का
2	अबूत 2	अबूत 2
3	अबूत 2	अबूत 2
4	अबूत 2	अबूत 2
5	अबूत 2	अबूत 2
6	अबूत 2	अबूत 2
7	अबूत 2	अबूत 2
8	अबूत 2	अबूत 2
9	अबूत 2	अबूत 2
10	अबूत 2	अबूत 2
11	अबूत 2	अबूत 2
12	अबूत 2	अबूत 2
12	अबूत 2	अबूत 2
13	अबूत 2	अबूत 2
14	अबूत 2	अबूत 2
15	अबूत 2	अबूत 2
16	अबूत 2	अबूत 2
17	अबूत 2	अबूत 2

मधुबनी
HO/-
ग्राम प्रधान

उपायुक्त मधुबनी

AM

Assistant Engineer
T. Division PWD

Gaucher (Chamoli)

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डास मोटर मार्ग से काँचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम - काँचुला
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डास मोटर मार्ग से काँचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० गौधर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम ~~काँचुला~~ द्वारा दिनांक 11.07.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काँचुला के ग्रामवासियों को 0.84 हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव ~~प० एम० जगदाल~~
का०प०वि०अ०



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

हस्ताक्षर प्रमाणित

Assistant Engineer

Division PWD

Chamoli (Chamoli)

प्रपत्र-23.1

दिनांक १६/१०/१९ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - चमोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामादा सिंह	रामादा सिंह
2	पदम सिंह	पदम सिंह
3	रामदादा सिंह	रामदादा सिंह
4	रामादा सिंह	रामादा सिंह
5	बालादा सिंह	बालादा सिंह
6	नरदादा सिंह	नरदादा सिंह
7	रामदादा सिंह	रामदादा सिंह
8	बालादा सिंह	बालादा सिंह
9	रामदादा सिंह	रामदादा सिंह
10	रामदादा सिंह	रामदादा सिंह
11	बालादा सिंह	बालादा सिंह
12	नरदादा सिंह	नरदादा सिंह
13	रामदादा सिंह	रामदादा सिंह
14	बालादा सिंह	बालादा सिंह
15	रामदादा सिंह	रामदादा सिंह
16	रामदादा सिंह	रामदादा सिंह
17	बालादा सिंह	बालादा सिंह



हस्ताक्षर प्रमाणित

Assistant Engineer,
Division PWD
Deochar (Chamoli)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कॉमुलागैंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकाडेरखोवाल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित / वनपंचायत भूमि का ली०नि०वि० का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम - कैरछ
तहसील-कर्णप्रयाग जिला-बनोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कॉमुलागैंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकाडेरखोवाल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित / वनपंचायत भूमि का ली०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पंचायत एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के निषेध में ग्रामिका 6 द्वारा दैनिक 4-5 घंटे लगभग राम रमा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्मित करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी भी आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिक्त सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे आर्सेनल परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हानि नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम रमा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कॉमुला के ग्रामवासियों को 6-6 हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
अनापत्ति किया जो साथ एवं जारी है।

ह०/-
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा ककरी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिनांक 1/11/2023 को उपलब्ध कराया जायेगा।

Assistant Engineer
Ty Division PWD
D. Gauchar (Cham)

प्रपत्र-23.1

दिनांक ०६-१२-२०१९ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - ७६१७

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति	ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री	मधुसूदन सिंह कुंवर	मधुसूदन सिंह
2-	श्री	सुंदर सिंह कुंवर	सुंदर सिंह
3-	श्री	गजरा सिंह कुंवर	गजरा सिंह
4-	श्री	नरदा सिंह कुंवर	नरदा सिंह
5-	श्री	यशवीर सिंह मोहन	यशवीर सिंह
6-	श्री	अश्वत्थ सिंह कुंवर	अश्वत्थ सिंह
7-	श्री	निपरा सिंह कुंवर	निपरा सिंह
8-	श्री	महावीर सिंह कुंवर	महावीर सिंह
9-	श्री	केशवीर सिंह मोहन	केशवीर सिंह

मधुदेवी
हठ/-
ग्राम-प्रधान

बाधाप्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Division PWD
Arachar (Chamoli)